आई एस एस एन 0971-9873

आई सी एम आर पत्रिका

वर्ष-29, अंक-7

जुलाई, 2015

इस अंक में

- कृषि और स्वास्थ्य 65
- विश्व पशुजन्य रोग दिवस : राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान, बंगलोर यूनिट द्वारा सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन 72
- परिषद के समाचार 73
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक गतिविधियों में आई सी एम आर के वैज्ञानिकों की भागीदारी 74
- आई सी एम आर की वित्तीय सहायता में भावी संगोष्ठियां/सेमिनार/कार्यशालाएं/पाठ्यक्रम/सम्मेलन 74

संपादक मंडल

अध्यक्ष — श्री भानु प्रताप शर्मा
सचिव, भारत सरकार
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

प्रमुख, प्रकाशन एवं सूचना प्रभाग — डॉ विजय कुमार श्रीवास्तव

संपादक — डॉ कृष्णानन्द पाण्डेय

प्रकाशक — श्री जगदीश नारायण माथुर

कृषि और स्वास्थ्य

भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे किसान निरन्तर कठिन परिश्रम के साथ कार्य करते हुए देश में कृषि उपज को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। साथ ही कृषकों और कृषि कार्य से जुड़े मज़दूरों को कृषि संबंधी विविध कार्यों के दौरान तरह-तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की चपेट में आने का खतरा भी रहता है। प्रस्तुत आलेख में भारतीय कृषि, कृषि मजदूरों की व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं, खतरों के निवारण जैसे कई पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

आमतौर पर कृषि कार्य के अन्तर्गत मुख्यतया बुवाई, फसल उगाने, कटाई, कृषि उत्पादों के प्राथमिक प्रसंस्करण, जंतु एवं मवेशी पालन, मत्स्य पालन, कृषि-वानिकी, आदि जैसी विविध गतिविधियां सम्मिलित हैं। विश्व में अनुमानतः 1.3 बिलियन मजदूर कृषि उत्पादन से जुड़े हैं जिनकी संख्या विश्व के कुल मजदूरों की संख्या से लगभग आधी है। उनमें 60 प्रतिशत मजदूर विकासशील देशों में हैं। कृषि मजदूरों की अधिकांश संख्या विश्व के घनी आबादी वाले क्षेत्र एशिया में है जहां विश्व की 40 प्रतिशत से अधिक कृषक आबादी चीन में तथा 20 प्रतिशत से अधिक भारत में है[1]।

कृषि एक सुरक्षित व्यवसाय नहीं है। कृषि मजदूरों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो मुख्यतया अत्यंत प्रतिकूल मौसम, धूप, नाशकजीवनाशी (पेस्टीसाइड्स), उर्वरक के रूप में रासायनिक एवं विषाक्तता जैसे खतरे वाले कारकों पर आधारित होते हैं। इनमें कई स्थितियां उनके कृषि कार्य के दौरान घटती हैं। व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं में श्वसनी रोग, त्वचारोग, आघात, विषाक्तता और कैंसर जैसी समस्याएं सम्मिलित हैं। कृषि मजदूरों को पशुजन्य रोगों और व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ता हैं[2]।

http://cdn1.wn.com/ph/img/8a/20/48cdd1e15782ceca82c7208f7959-grande.jpg

कृषि प्रौद्योगिकी में विस्तार के साथ कृषि मजदूरों को पारम्परिक स्वास्थ्य खतरों के अलावा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित नए खतरों का सामना करना पड़ेगा। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई-नई तकनीकें और विधियां अपनाई जा रही हैं। परन्तु उनसे नई-नई स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं जिनकी आसानी से पहचान नहीं हो पाती। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अनुमान के अनुसार खनन और निर्माण कार्य के बाद कृषि अत्यन्त खतरनाक व्यवसाय है[3]।

http://media3.washingtonpost.com/wp-srv/photo/gallery /100720/GAL-10jul20-5197/media/PHO-10Jul20 -239105.jpg

भारतीय कृषि

भारत में 58 प्रतिशत मजदूर कृषि कार्यों से जुड़े हैं। यह क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस क्षेत्र के विकास, उसकी वृद्धि और उत्पादकता से अन्य क्षेत्रों की वृद्धि प्रभावित होती है[4]।

कृषि मजदूरों से जुड़ी विशेष बातें

- कृषि कार्य खुले परिवेश में किया जाता है जिससे वे जलवायु संबंधी विभिन्न विकट स्थितियों से प्रभावित होते हैं।
- कार्य मौसम से जुड़ा होता है और कुछ कार्य तो विशिष्ट अवधियों में तत्काल किए जाते हैं।
- एक ही व्यक्ति विविध प्रकार के कार्यों से जुड़ा हो सकता है।
- काम के दौरान शरीर की मुद्राओं और कार्यों की अवधि में भारी विविधता होती है।
- जन्तुओं/ मवेशियों और पादपों के सम्पर्क में आने के परिणामस्वरूप दंशों, संक्रमणों, प्रत्यूर्जता, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित होने की संभावना होती है।
- नाशकजीवनाशी, कृन्तकनाशी जैसे रासायनिक एवं जैविक उत्पादों के सम्पर्क में आने की स्थिति उत्पन्न होती है।
- तरह-तरह की मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं।
- बहुधा कार्य अन्य लोगों से दूर अकेले में किया जाता है।
- दुर्घटना के समय बहुधा आपातकालीन सेवाएं विलम्ब से उपलब्ध होती हैं क्योंकि बड़ी संख्या में कृषि मजदूर दूर-दराज़ के क्षेत्रों में कार्य करते हैं।
- अधिकांश मजदूरों के घर खेतों में होने के कारण उनके बच्चों को कृषि संबंधी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।
- अल्पवयस्क और वृद्ध मज़दूरों का अनुपात काफी अधिक होता है।

http://www.balticuniv.uu.se/index.php/component/docman/doc_download/1293-chapter-53-occupational-health-and-safety-in-agriculture

कृषि मजदूरों का वर्गीकरण

कृषि मजदूरों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है[5]।

- भूमिहीन श्रमिक जो जमींदारों से जुड़े हैं;
- भूमिहीन श्रमिक जो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं, परन्तु केवल दूसरों के लिए कार्य करते हैं;
- बहुत कम भूमि वाले साधारण किसान जो अपना अधिकांश समय दूसरों के काम में लगाते हैं;
- आर्थिक रूप से संपन्न किसान जिनके एक या दो पुत्र अन्य संपन्न कृषकों के लिए कार्य करते हैं।

व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याएं

कृषि संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं [1]

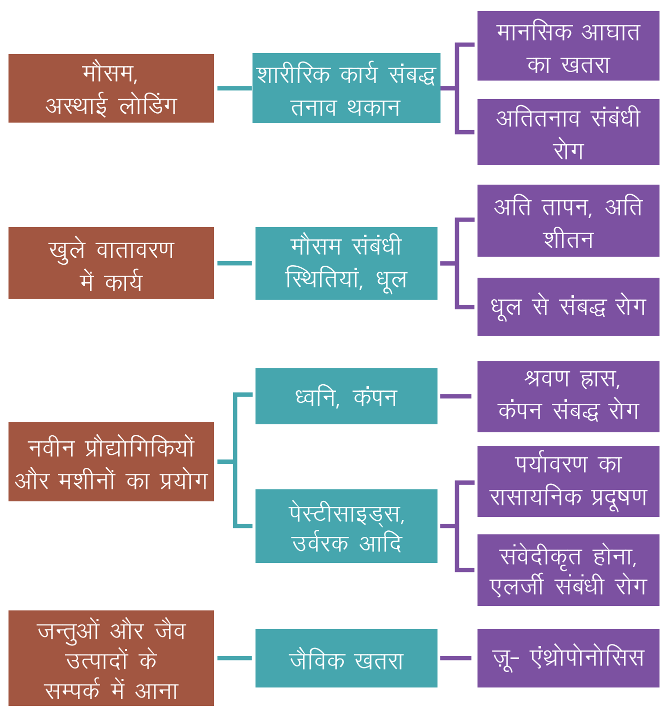

खतरे	इनके सम्पर्क में आना/प्रभावित होना	स्वास्थ्य पर प्रभाव
श्वसन संबंधी खतरे	अनाज के परागकण, पालतू पशुओं/जन्तुओं के बालों में रूसी, कुटकी (माइट्स), अनाज की धूल में और फसलों पर कवकीय एंटीजंस, आर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी	दमा (अस्थमा) और राइनाइटिस, इम्यूनोग्लोबुलिन ई मध्यस्थ अस्थमा
	कार्बनिक धूल	नॉन-इम्यूनोलॉजिक अस्थमा (अनाज की धूल से उत्पन्न अस्थमा)
	पौधों के भाग, एण्डोटॉक्सिंस, माइकोटॉक्सिंस	म्युकस कला में शोथ
	इनसेक्टीसाइड्स, आर्सेनिक, जलन पैदा करने वाली धूल, अमोनिया, धुआं, गेहूं, जौ की धूल	ब्रोंकोस्पाज्म, तीव्र और चिरकारी श्वसनीशोथ
	अनाज और सूखी घास पर उपस्थित 5 mm से कम व्यास के कवक के बीजाणु	अतिसंवेदनशीलता न्युमोनाइटिस
	थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज़ : कवकयुक्त गन्ना	बैगासोसिस
	मशरूम के बीजाणु (स्पोर्स)	मशरूम संबद्ध मजदूरों के फेफड़ों में संक्रमण
	कवक युक्त सूखी घास, कम्पोस्ट खाद	कृषक के फेफड़े में संक्रमण
	कवक : कवक युक्त मैपल छाल	मैपल बार्क, स्ट्रिपर्स रोग
	एंथ्रोपॉइड्स : संक्रमित गेहूं	ह्वीट वीविल रोग
	पौधों से निर्मित कचरा, स्टार्च कण, फफूंद,एण्डोटॉक्सिंस, कवक, ग्राम वर्ण अग्राही जीवाणु, एंज़ाइम्स, एलर्जेंस, कीट के भाग, मृदा कण, रासायनिक अवशिष्ट	आर्गेनिक धूल विषाक्त संलक्षण
	भण्डारित अनाज से धूल	ग्रेन फीवर
	साइलो (अनाज को सुरक्षित रखने का ढांचा) के शीर्ष पर फफूंद की उपस्थिति	साइलो अनलोडर्स संलक्षण
	गैसों की सड़न : NH_3, N_2S CO, CH_4, SO_2, फॉस्जीन, क्लोरीन, ओज़ोन, पैराक्वाट (हर्बीसाइड), एनहाइड्रूस अमोनिया (उर्वरक), नाइट्रोजन ऑक्साइड्स	तीव्र फुप्फुसीय अनुक्रियाएं
	किण्वनशील साइलेज से नाइट्रोजन डाईऑक्साइड	साइलो फिलर्स रोग
	वेल्डिंग धूम	धातु धूम ज्वर
	बन्द स्थानों में ऑक्सीजन की कमी	श्वासावरोध (बेहोश होना)
	शुष्क क्षेत्रों में मृदा धूल	वैली फीवर (कॉक्सीडिओमाइकोसिस)
	माइकोबैक्टीरियम ट्युबरकुलोसिस	क्षयरोग (प्रवासी मजदूरों में)
त्वचा संबंधी खतरे	अमोनिया और शुष्क उर्वरक, सब्जियों की फसलें, कन्द पादप, धूमक, ओट एवं जौ की धूल, अनेक नाशकजीवनाशी, साबुन, पेट्रोलियम उत्पाद, विलायक, हाइपोक्लोराइट, फीनोलिक यौगिक, एमनिओटिक द्रव, पशु आहार, फ्युराज़ॉलीडोन, हाइड्रोक्विनोन, हालक्वीनाल	जलन सहित त्वचाशोथ
	कुटकी (माइट्स)	ग्रेन इच

खतरे	इनके सम्पर्क में आना/प्रभावित होना	स्वास्थ्य पर प्रभाव
	सुग्राहीकरणशील पादप (विषाक्त आइवी अथवा ओक), कुछ पेस्टीसाइड्स (डाईथायोकार्बामेट्स, पाइरेथ्रिंस, थायोएट्स, थाइयूरम्स, पैराथिऑन एवं मैलाथिऑन)	प्रत्यूर्जताजनक त्वचाशोथ
	ट्युलिप्स और ट्युलिप कन्दों (बल्ब्स) के सम्पर्क में रहना	ट्युलिप फिंगर
	क्रियोसोट, फ्युरोकोमरिंस युक्त पादप	फोटो-कांटैक्ट त्वचाशोथ
	धूप, पराबैगनी विकिरण	धूप प्रेरित त्वचाशोथ, मेलानोमा, लिप कैंसर
	नम और गर्म परिवेश	ताप प्रेरित त्वचाशोथ
	नम तम्बाकू की पत्ती का सम्पर्क	निकोटीन विषाक्तता (ग्रीन टोबैको सिकनेस)
	आग, बिजली, एसिड अथवा कास्टिक रसायन, शुष्क (हाइग्रोस्कोपिक) उर्वरक, घर्षण, तरलीकृत एनहाइड्रास अमोनिया	दग्ध (बर्न्स)
	ततैया, मधु मक्खी के डंक, अनाज की कुटकी, हॉरनेट्स, फायर ऐंट्स, मकड़ी, बिच्छू, सेंटीपीड्स, अन्य आर्थ्रोपोड्स, सर्प	आर्थ्रोपोड-प्रेरित त्वचाशोथ, विष से प्रभावित होना, लाइम रोग, मलेरिया
	काटना और कांटा चुभना	टेटनस
विषाक्तता संबद्ध एवं अर्बुदजनक खतरे	विलायक, बेंज़ीन धुआं, फ्युमीगैंट्स, कीटनाशी (ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स ऑर्गेनोक्लोरींस), हर्बीसाइड्स (यथा-फीनॉक्सी-एलीफैटिकएसिड्स, बाईपाइरीडिल्स, ट्रायाज़ाइंस आर्सेनिकल्स, एसेंटेनिलाइड्स, डाईनाइट्रो-टॉल्यूडीन), कवकनाशी (यथा-थायोकार्बामेट्स, डाईकार्बाक्सीमाइड्स)	तीव्र नशाग्रस्त होना, पार्किंसन रोग, मृदु-ऊतक सार्कोमा, परिसरीय तंत्रिकाशोथ, हाजकिन लिम्फोमा, अल्ज़ाइमर रोग, तीव्र एवं चिरकारी एनसिफैलोपैथी, नॉन-हाजकिन लिम्फोमा, बहु माइलोमा, ल्युकीमिया, मस्तिष्क, प्रोस्ट्रेट, आमाशय, अग्न्याशय और वृषण के कैंसर, ग्लायोमा
	सौर्य विकिरण (सोलर रैडिएशन)	त्वचा कैंसर
	इथाइलीन डाईब्रोमाइड	बंध्यता (पुरुष)
चोट के खतरे	सड़क वाहन में टक्कर, मशीनरी एवं वाहन, गिरना, ऑक्सीजन की कमी, आग	मृत्यु
	ट्रैक्टर	सीना क्षतिग्रस्त होना, रक्त बहना, आस-पास के ऊतकों का क्षतिग्रस्त होना
	बरमा (बेधनी)	रक्त बहना, सेप्सिस और श्वासावरोध
	बिजली	करेंट लगना
	मशीनरी एवं वाहन, वायु प्रवाह, जन्तुओं से चोट लगना, गिरना	सामान्य चोट, चोट संबद्ध संक्रमण (जैसे टेटनस)
	हे बालर्स	घर्षण से जलना, दबना, तंत्रिकावाहिकीय विघटन, अस्थि भंग, अंग काटना
	पॉवर टेक-ऑफ्स	त्वचा अथवा सिर की खाल का विदारण, बहु चोट, अंग काटना
	कॉर्न पिकर्स	हाथ में चोट लगना (घर्षण से जलना, दबना, उंगली काटना)
	आग और विस्फोट	गंभीर अथवा घातक दग्ध, धुआं में श्वास लेना

खतरे	इनके सम्पर्क में आना/प्रभावित होना	स्वास्थ्य पर प्रभाव
अभियांत्रिकी और तापीय तनाव से उत्पन्न खतरे	टेण्डन का अति प्रयोग, स्ट्रेचिंग; अत्यधिक बल	टेण्डन संबद्ध विकार (टेण्डनाइटिस, टेनोसाइनोवाइटिस)
	बारम्बार गतिशीलता, कलाई मुड़ना	कार्पल टनल संलक्षण
	हाथों में कम्पन	रेनॉड्स संलक्षण
	उच्च बल, अनुपयुक्त मुद्रा, पूर्ण शरीर में कम्पन	ह्रासी परिवर्तन, कमर में दर्द, कशेरुकाओं के बीच डिस्क हर्निएशन, परिसरीय तंत्रिका एवं वाहिकीय, जठरांत्रीय और वेस्टीबुलर प्रणाली में चोटें
	मोटर और मशीनरी का शोर	श्रवण ह्रास
	चयापचय में वृद्धि, उच्च तापमान और आर्द्रता, सीमित जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स	ताप क्रैम्पस, ताप संबंधी थकान, आघात
	निम्न तापमान, सूखे कपड़ों की कमी	फ्रॉस्ट निप, चिलब्लेंस (ठंड के कारण हाथ, पैर पर चकत्ता), फ्रॉस्टबाइट, सिस्टीमिक अल्पतापन
व्यवहार संबद्ध खतरे	पृथकता, आर्थिक खतरे, हिंसा, मादक द्रव्य व्यसन, कौटुम्बिक यौनाचार, खतरे उठाना, दो पीढ़ियों के बीच समस्याएं, पेस्टीसाइड्स, पैतृक रुख, अस्थाई मौसम, गतिहीनता	अवसाद, चिन्ता, आत्मघात,
	क्षयरोग, यौन संचारित रोग (प्रवासी मजदूर)	परस्पर वैयक्तिक बीमारी

http://www.ilo.org/oshenc/part-x/agriculture-and-natural-resources-based-industries/health-and-environmental-issues/item/558-health-problems-and-disease-patterns-in-agriculture

फार्मर्स लंग

फार्मर्स लंग, फेफड़े के कार्य को प्रभावित करने वाला एक असंक्रामक एलर्जी संबद्ध रोग है। यह सूखी घास के गट्ठर, भण्डारित अनाज, अथवा उच्च नमी (30%) युक्त साइलेज से फफूंद के बीजाणु (स्पोर्स) श्वास के साथ प्रवेश करने पर उत्पन्न होता है। इसके प्रभाव में रोगी की सांस फूलने लगती है, सीने में जकड़न हो जाती है, उसमें थकान, सूखी खांसी, पेशी में दर्द, सिरदर्द, जूड़ी और ज्वर जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसकी प्रतिक्रिया से उत्पन्न गंभीरतम अवस्था की अवधि लगभग 12 से 48 घंटे तक हो सकती है, परन्तु कुछ प्रभाव-दो सप्ताह तक जारी रह सकते हैं। फफूंद के बीजाणुओं से उत्पन्न प्रत्यूर्जताजनक प्रतिक्रिया फ्लू अथवा न्युमोनिया से मिलती है। फार्मर्स लंग, से प्रभावित व्यक्ति को फफूंद के बीजाणुओं के सम्पर्क से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जानलेवा स्थिति का खतरा कम किया जा सकता है[6]।

पशुजन्य रोग

पशुजन्य रोग जन्तुओं और मानवों के बीच प्राकृतिक रूप से संचरित होने वाले संक्रमण होते हैं। विश्व में 60 प्रतिशत संक्रामक रोगजन और 75 प्रतिशत उभरते रोगजन पशुजन्य होते हैं। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान है और उष्णकटिबंधीय पशुधन (लाइव स्टॉक) की उच्चतम सघनता वाले देशों में इसका एक प्रमुख स्थान है। यहां जन्तुओं और लोगों के बीच ज्ञात एवं नवीन दोनों ही श्रेणी के रोगों के संचरण के लिए अनुकूल परिवेश है। हालांकि, भारत में पशुजन्य रोगों पर अनुसंधान और उनके नियंत्रण कार्यक्रम आंशिक प्रकृति के हैं। सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्य मानवों में पशुजन्य संक्रमणों पर केन्द्रित हैं जबकि कृषि मंत्रालय का कार्य घरेलू जन्तुओं और जिंसों में पशुजन्य रोगों पर लक्षित है। वहीं भारतीय वन्यजीव संस्थान वन्यजीवों की समस्याओं को दूर करने से संबद्ध हैं। यह संस्थान इन संस्थानों और अन्य शैक्षिक, शोध एवं नीति संगठनों के साथ सहयोग करता है। जून 2008 में भारत में पशुजन्य रोगों का मुकाबला करने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई थी। जिसका उद्देश्य एकीकृत पशुजन्य रोग के निवारण एवं नियंत्रण को सहायता देना और प्रोत्साहन देना है[7]।

साइलो अनलोडर्स संलक्षण/ऑर्गेनिक टॉक्सिक डस्ट सिण्ड्रोम

वर्ष 1975 में साइलों में सांस के माध्यम से कवकीय बीजाणुओं से गंभीर रूप से प्रभावित होने के बाद ज्वर सहित श्वसनी-फुप्फुसीय रोग को पल्मोनरी माइकोटॉक्सिकोसिस का नाम दिया गया था। बाद में इसे "साइलो अनलोडर सिण्ड्रोम" अथवा एक विशेष प्रकार

के *"आर्गेनिक डस्ट टॉक्सिक सिण्ड्रोम"* का नाम दिया गया[8]। खेती करने वाले मजदूरों के साइलो में जाने पर शरीर में सांस के साथ विषाक्त नाइट्रोजन डाईऑक्साइड प्रवेश कर जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ मामलों में मौतें भी हो सकती हैं। इसके लक्षण आमतौर पर साइलो में प्रवेश करने के एक सप्ताह के भीतर उभर सकते हैं[9]।

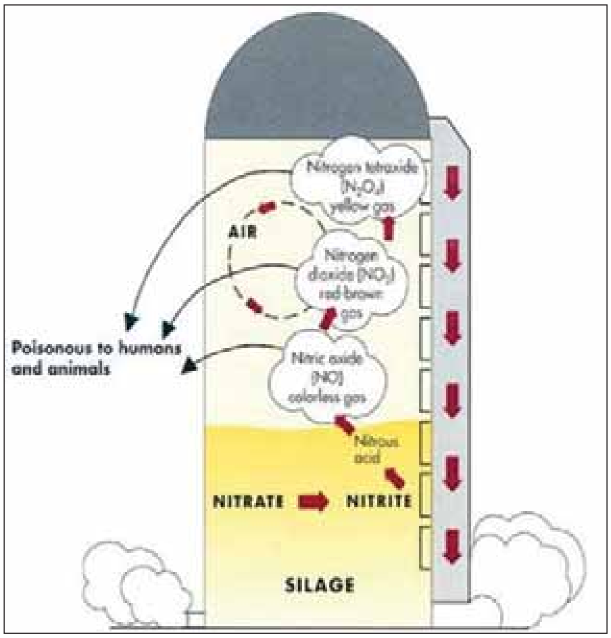

https://www.pioneer.com/CMRoot/pioneer/US-images-livestock_feed_and_nutrition/diagram.jpg

खतरों का निवारण इनसे किया जा सकता है:

श्वसनी खतरे : वेंटीलेशन, धूल कणों को रोककर, रेस्पिरेटर का प्रयोग, फफूंद को रोककर, धूम्रपान की आदत छोड़कर।

त्वचा के खतरे : एकीकृत पेस्ट प्रबंधन, सुरक्षा प्रदान करने वाले कपड़े पहन कर, उत्तम सफाई व्यवस्था, टीकाकरण; कीट पर नियंत्रण, रोधक क्रीमों का प्रयोग।

विषाक्त एवं अर्बुदजनक खतरे: एकीकृत पेस्ट (नाशकजीव) प्रबंधन, श्वसनी एवं त्वचीय सुरक्षा, पेस्टीसाइड्स का उत्तम प्रयोग, खेतों में पेस्टीसाइड्स प्रयोग करने के बाद सुरक्षित समय पर खेतों में जाना, सुरक्षा विधियों के साथ कंटेनर पर लेबलिंग करना, कैंसरजन की पहचान करना और उसे दूर करना।

चयापचय में वृद्धि, उच्च तापमान और आर्द्रता, सीमित जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स : पानी पीना, आराम करना, धूप से बचाव करना।

निम्न तापमान, शुष्क कपड़ों की कमी : सूखे, गर्म कपड़े पहनना, कार्य करते हुए गर्मी पैदा करना।

चोट के खतरे : सुरक्षा साधनों, गार्ड्स का प्रयोग करें, कार्य के समय सावधानी बरतें, बिजली के तारों को सुरक्षित रखें, आग को रोकें, सुरक्षा प्रदान करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें, घरों को उत्तम तरीके से व्यवस्थित रखें।

कृषि यंत्रों से होने वाली दुर्घटनाएं

स्रोत	कृषि यंत्रों से होने वाली कुल दुर्घटनाओं का %
ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालित यंत्र	30.5
जन्तु चालित उपकरण	22.3
थ्रेसर्स (विनोअर्स सहित)	13.9
विद्युत मोटर्स / पम्प सेट्स	12.3
चारा काटने की मशीन (हस्त चालित+विद्युत चालित+पावर टिलर्स)	9.3
पावर टिलर्स	5.5
स्प्रेयर्स (मैनुअल+पावर स्प्रेयर्स)	4.3
गन्ना पेराई मशीन	0.9
अन्य उपकरण	1.0
योग	**100**

http://iasri.res.in/agridata/13data/chapter6/db2013tb6_22b.pdf

टेण्डन का अति प्रयोग, स्ट्रेचिंग, अत्यधिक बल : अर्गोनॉमिक डिज़ाइन, कम्पन का अवमन्दन, गर्म कपड़े, विश्राम की अवधि।

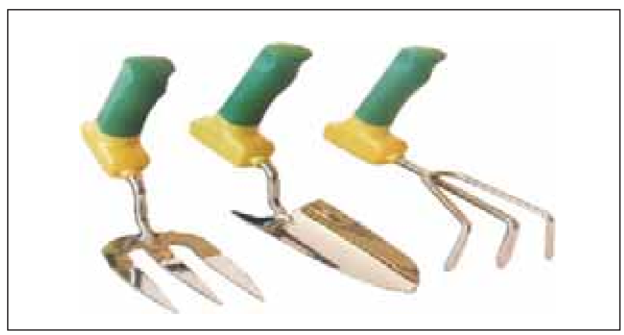

http://farmagain.com/wsimages/fistgrip.jpg

मोटर एवं मशीनरी के शोर : शोर नियंत्रण, श्रवण सुरक्षा

व्यवहारात्मक खतरे : प्रारंभिक निदान, परामर्श, सशक्तीकरण, टीकाकरण, पेस्टीसाइड नियंत्रण, सामुदायिक सहायता।

स्वच्छतारहित स्थितियां : इन स्थितियों में मजदूरों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए : खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए शौचालय, पेय जल, और हाथ धोने की सुविधाएं; और प्रत्येक मजदूर को स्वच्छता अपनाने के महत्व के विषय में सूचित करना।

https://www.osha.gov/dsg/topics/agriculturaloperations/hazards_controls.html

http://www.ilo.org/oshenc/part-x/agriculture-and-natural-resources-based-industries/health-and-environmental-issues/item/558-health-problems-and-disease-patterns-in-agriculture

कृषि संबंधी चोटें

भारत में कृषि संबंधित चोटों पर संपन्न एक अध्ययन में उत्तर प्रदेश के 9 गांवों और हरियाणा के 30 गांवों के 2635 मजदूरों के एक नमूने में प्रथम प्रावस्था में दुर्घटना दर 28/1000 मजदूर/ वर्ष तथा द्वितीय प्रावस्था में 49/1000 मजदूर/वर्ष पाई गई। वर्ष 1995-99 के दौरान मध्य प्रदेश के 12,189 कृषि मजदूरों पर संपन्न एक लांगीट्युडिनल अध्ययन में दुर्घटना दर 1.25/1000 मजदूर/ वर्ष पाई गई। लगभग 9.2 प्रतिशत दुर्घटनाएं प्राणघातक थीं और 43 प्रतिशत दुर्घटनाएं ट्रैक्टर और सर्पदंश के कारण हुई थीं। कुल 78 प्रतिशत चोटें कृषि यंत्रों/उपकरणों के कारण हुई थीं, 12 प्रतिशत चोटें हाथ द्वारा चालित मशीनों और 11 प्रतिशत अन्य कारणों से लगी थीं[4]।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस संगठन है। देश भर में इसके 99 संस्थान और 53 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। आई सी ए आर ने अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत में हरित क्रान्ति लाने और तत्पश्चात कृषि के क्षेत्र में विकास लाने में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके परिणामस्वरूप देश में वर्ष 1950-51 से खाद्य अनाजों का उत्पादन 4 गुणा, बागवानी फसलें 6 गुणा, मछली उत्पादन 9 गुणा, दूध उत्पादन 6 गुणा और अण्डा उत्पादन 27 गुणा बढ़ गया है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य और पोषणज सुरक्षा पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने में आई सी ए आर की एक प्रमुख भूमिका है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में अत्याधुनिक क्षेत्रों में कार्यरत है तथा इसके वैज्ञानिक अपने-अपने क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं[10]।

कृषि के लिए व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नियम

कीटनाशी अधिनियम 1968: कीटनाशी अधिनियम 1968, 1983 कीटनाशियों (इनसेक्टीसाइड्स) के निर्माण, उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, उसके वितरण, रख-रखाव और प्रयोग संबंधी पहलुओं से संबंधित है। इसलिए, कीटनाशियों के प्रयोग में खतरों से संबद्ध इस अधिनियम में दिए गए नियंत्रण उपाय कृषि क्षेत्र के लिए भी मान्य हैं। कृषि कार्यों में इसकी उपयोगिता को देखते हुए इस अधिनियम का अनुपालन राज्य कृषि विभागों द्वारा किया जाता है।

खतरनाक मशीन (नियमन) अधिनियम, 1968 : खतरनाक मशीन (नियमन) अधिनियम 1968 किसी उद्योग द्वारा निर्मित खतरनाक मशीनों के व्यापार एवं विपणन, निर्माण, आपूर्ति वितरण, उनके प्रयोग के नियमन के लिए एक अधिनियम है, जो इन मशीनों को चलाने वाले मजदूरों के कल्याण तथा इन मशानों के परिचालन के दौरान किसी मजदूर की मृत्यु होने, अथवा शरीर के किसी अंग के क्षतिग्रस्त होने की स्थितियों में मुआवजा देने, तथा दुर्घटना से जुड़े मामलों से संबंधित है। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों अथवा कृषि में प्रयुक्त खतरनाक मशीनों पर लागू होता है। इस अधिनियम का अनुपालन राज्य के कृषि विभागों द्वारा भी किया जाता है।

बागवानी मजदूर अधिनियम, 1951 : यह अधिनियम मजदूरों के स्वास्थ्य और कल्याण तथा बागवानी में कार्य स्थितियों के नियमन से संबंधित है। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक बागवानी केन्द्रों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए जिससे जुड़े मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए ये सुविधाएं तत्काल मिल सकें। इसके अलावा इस अधिनियम में बीमारी एवं प्रसूतिक लाभ, दुर्घटनाओं के अधिसूचना, उनके मनोरंजन, आवास एवं शिक्षा सुविधाओं को भी सम्मिलित किया गया है[4]।

निष्कर्ष

देश की समग्र प्रगति में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्षेत्र से संबद्ध कृषकों और मज़दूरों को कार्य संबंधी अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। कृषि व्यवसाय में जहां भीषण गर्मी-सर्दी में कार्य करना होता है। वहीं कार्य के दौरान गंभीर चोट लगने, कीटनाशियों से प्रभावित होने, फफूंद एवं पशुजन्य रोगों से संक्रमित होने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कृषि कार्यों के दौरान श्वसनी रोग, त्वचा रोग, विषाक्तता, कैंसर जैसे रोगों को उभरने का खतरा रहता है। इन खतरों की गंभीरता और उनसे बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों पर जानकारी प्रदान करके इस क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1 http://www.slideshare.net/ramnikparekh/agriculture-iaoh-bohs
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11294323
3 http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa226.pdf
4 http://www.planningcommission.nic.in/aboutus/committee/wrkgrp12/wg_occup_safety.pdf
5 http://knowledgecentre.drwa.org.in/green/pdffiles/page23-28.pdf
6 http://extension.psu.edu/business/ag-safety/health/e26
7 http://www.japi.org/february_2012/01_editorial.pdf
8 http://www.ncbi.nim.nih.gov/pubmed/1947944
9 http://www.rightdiagnosis.com/s/silo_unloader_syndrome/intro.htm
10 http://www.icar.org.in/en/aboutus.htm

यह आलेख आई सी एम आर के अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा प्रकाशित "ENVIS-NIOH न्यूज़लेटर" के अप्रैल-जून, 2014 अंक में *"एग्रीकल्चर ऐण्ड हेल्थ"* शीर्षक से प्रकाशित लेख पर साभार आधारित है। इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए 'ENVIS समन्वयक', राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, मेघनी नगर, अहमदाबाद - 380 016 से सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्व पशुजन्य रोग दिवस : राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान, बंगलोर यूनिट द्वारा सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन

पशुजन्य रोगों के नियंत्रण एवं निवारण के विषय में जनजागरूकता पैदा करने और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान की बंगलोर इकाई (यूनिट) द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2015 को बंगलोर शहरी जिला के अनेकल तालुक में स्थित दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 'विश्व पशुजन्यरोग दिवस' का आयोजन किया गया। वाइल्ड लाइफ, पालतू जन्तुओं के माध्यम से मानवों में फैलने वाले रोगों में रेबीज़, डेंगी, चिकुनगुनया, जापानी मस्तिष्कशोथ, वेस्ट नाइल विषाणु, एवियन इंफ्लुएंज़ा, बुफैलोपॉक्स, मंकीपॉक्स, हंटावाइरस, इबोला, सार्स (*सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिण्ड्रोम, SARS*), MERS, क्षयरोग, एंथ्रेक्स, प्लेग, साल्मोनेलारुग्णता और ब्रूसिलोसिस सम्मिलित हैं।

प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को 'विश्व पशुजन्यरोग दिवस' मनाया जाता है जिसका उद्देश्य लोगों को इन समस्याओं से अवगत कराना और उपयुक्त कार्यवाही हेतु उन्हें स्मरण दिलाना है। यह दिन महान वैज्ञानिक लुइस पाश्चर द्वारा रेबीज़ वैक्सीन की खोज की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस वैक्सीन का सर्वप्रथम प्रयोग दिनांक 6 जुलाई, 1885 को 9 वर्षीय जोसेफ मीस्टर पर किया गया था। इस अवसर पर बंगलोर शहरी जिला के अनेकल तालुक के जिगानी होबली स्थित निम्नलिखित दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हारागड्डे

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हारागड्डे द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रमिला ने राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान की बंगलोर इकाई के वैज्ञानिक 'ई' डॉ सी.जी. राउत और उनके दल का स्वागत किया। इस अवसर पर डॉ राउत ने घरों के आस-पास स्वच्छता के महत्व और अपने क्षेत्र में मच्छरों के प्रजनन पर नियंत्रण रखकर चिकुनगुनया और डेंगी के विस्तार को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की। उन्होंने चित्र के माध्यम से समुदाय में बुफैलोपॉक्स की व्यापकता और विस्तार का भी वर्णन किया। डॉ राउत ने इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ज्वर के 5 संदिग्ध रोगियों से नमूने भी एकत्र किए। अंत में, डॉ राउत ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु डॉ प्रमिला और उनके स्टाफ को धन्यवाद दिया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारजापुरा

डॉ सी.जी. राउत और उनके दल ने उसी तालुक के सारजापुरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भी दौरा किया। इस क्षेत्र से चिकुनगुनया और डेंगी ज्वर के रोगी प्रकाश में आए हैं। ऐसे रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी ने सभी संबंधित कार्यकर्ताओं एवं कर्मियों के साथ एक बैठक आयोजित की जिससे जागरूकता उत्पन्न की जा सके और निवारक उपाय अपनाए जा सकें। इस अवसर पर पोस्टर्स के माध्यम से वाइल्ड लाइफ एवं पालतू पशुओं से मानवों में संचरित होने वाले रोग कारकों को प्रदर्शित किया गया।

पोस्टर्स के माध्यम से रोगवाहक जन्य रोगों के रोगवाहक यथा-मच्छरों, सैण्ड फ्लाइज़ और टिक्स तथा उनके दंश से बचने के लिए उपायों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। अनेकल तालुक के तालुक चिकित्साधिकारी डॉ गंगा प्रकाश, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारजापुरा के चिकित्साधिकारी डॉ प्रशान्त तथा डॉ राउत ने भी कार्यक्रम में उपस्थित दर्शकों को सम्बोधित किया। डेंगी ज्वर, डेंगी रक्तस्रावी ज्वर और डेंगी आघात संलक्षण के लक्षणों का भी विस्तृत वर्णन किया गया। रोग संचरण के लिए जिम्मेदार रोगवाहकों (वेक्टर्स), उनके प्रजनन स्थलों, डिंभकों एवं वयस्क रोगवाहकों के नियंत्रण और निवारण का भी वर्णन किया गया। उपयुक्त तरीके से नमूनों को एकत्र करने, उनकी लेबलिंग, रोगियों के विस्तृत विवरण, नमूनों की पैकेजिंग एवं उपयुक्त निदान हेतु प्रयोगशाला तक परिवहन के महत्व का भी वर्णन किया गया।

इस कार्यक्रम में लगभग 75 व्यक्तियों ने भाग लिया।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के समाचार

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) के विभिन्न तकनीकी दलों/समितियों की नई दिल्ली में सम्पन्न बैठकें

पर्यावरण पर परियोजना पुनरीक्षण समिति की बैठक	1 जुलाई, 2015
क्षयरोग, कुष्ठरोग और अन्य वक्ष रोगों पर परियोजना पुनरीक्षण समिति की बैठक	2 जुलाई, 2015
फ्लोरोसिस पर टास्क फोर्स बैठक	3 जुलाई, 2015
श्रवण ह्रास पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स परियोजना की बैठक	8 जुलाई, 2015
यौन संचारित रोगों और एच आई वी/एड्स पर इण्डो-यू एस सहयोग के अंतर्गत कांसेप्ट प्रपोज़ल्स की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ दल की बैठक	10 जुलाई, 2015
मधुमेह, चयापचयज विकारों वृक्क एवं यकृत विकारों, हृद्वाहिकीय रोगों पर परियोजना पुनरीक्षण समिति की बैठक (जी आई ए योजना)	13 जुलाई, 2015
कुष्ठरोग पर टास्क फोर्स समिति की बैठक	14 जुलाई, 2015
सीलियक रोग के निदान और चिकित्सा प्रबंध हेतु दिशानिर्देश के विकास पर आई सी एम आर टास्क फोर्स परियोजना पर कार्यशाला	14 जुलाई, 2015
वाइल्ड पोलियो विषाणुओं के संरोधन पर टास्क फोर्स बैठक	14 जुलाई, 2015
आर्थोपेडिक्स पर परियोजना पुनरीक्षण समिति की बैठक	16 जुलाई, 2015
सामाजिक व्यवहारात्मक अनुसंधान प्रमाण के परियोजना पुनरीक्षण दल की बैठक	16-17 जुलाई, 2015
जीरियाट्रिक्स (जराचिकित्सा) हेतु नीतियों पर चर्चा करने हेतु बैठक	20 जुलाई, 2015
HIV/AIDS और यौन संचारित रोगों पर परियोजना पुनरीक्षण समिति की बैठक	21 जुलाई, 2015
आई सी एम आर के संस्थानों/ केन्द्रों में वैज्ञानिक उपकरणों के क्रय हेतु तकनीकी समिति की बैठक	21 जुलाई, 2015
ऑनलाइन एक्स्ट्राम्युरल प्री-प्रपोज़ल्स पर जांच समिति की बैठक	22 जुलाई, 2015
स्टेम सेल शोध एवं चिकित्सा हेतु राष्ट्रीय एपेक्स समिति NAC-SCRT की 14वीं बैठक	22 जुलाई, 2015
भेषजगुणविज्ञान पर विशेषज्ञ दल की बैठक	23 जुलाई, 2015
जीव रसायन, प्रतिरक्षाविज्ञान और प्रत्यूर्जता पर परियोजना पुनरीक्षण समिति की बैठक	24 जुलाई, 2015
सामाजिक एवं व्यावहारिक अनुसंधान प्रभाग के वैज्ञानिक सलाहकार दल की बैठक	24 जुलाई, 2015
M. Sc. नर्सिंग छात्रों का आई सी एम आर का शैक्षणिक दौरा	27 जुलाई, 2015
पारम्परिक चिकित्सा एवं औषधीय पादपों पर फेलोशिप हेतु विशेषज्ञ दल की बैठक	27 जुलाई, 2015
प्रयोगशाला में पोलियोविषाणुओं के संरोधन पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स की बैठक	29 जुलाई, 2015
उन्नत अनुसंधान केन्द्र पर विशेषज्ञ दल की बैठक	30 जुलाई, 2015
बच्चों में एच आई वी की व्यापकता के आकलन पर परियोजना सलाहकार दल की बैठक	30-31 जुलाई, 2015
पोषण प्रभाग के वैज्ञानिक सलाहकार दल की बैठक	30 जुलाई, 2015
जन स्वास्थ्य पर पेस्टीसाइड्स के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ पुनरीक्षण दल की बैठक	31 जुलाई, 2015

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक गतिविधियों में आई सी एम आर के वैज्ञानिकों की भागीदारी

मुम्बई स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षारुधिरविज्ञान संस्थान की वैज्ञानिक 'ई' डॉ (श्रीमती) डी. शेट्टी ने टोरंटो, कनाडा में संपन्न" ISTH 2015 कांग्रेस" में भाग लिया (20-25 जून, 2015)।

पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ डी.टी. मौर्य ने सेबू, फिलीपींस में "एशिया पैसिफिक बायोसेफ्टी एसोसिएशन द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया (23-26 जून, 2015)।

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान की वैज्ञानिक 'एफ' डॉ आर. हेमलता ने लन्दन विश्वविद्यालय, लन्दन में सम्पन्न "दि यू के प्रोबायोटिक्स कांफ्रेंस 2015" में भाग लिया (29 जून से 1 जुलाई, 2015)।

चेन्नई स्थित राष्ट्रीय जानपदिकरोगविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक 'डी' डॉ पी. मणिक्कम ने रियो दे जेनीरो, ब्राज़ील में सम्पन्न "इपीहैक रियो 2015-जानपदिक रोगविज्ञानियों और विकासकर्ताओं के एक सम्मेलन" में भाग लिया (5-10 जुलाई, 2015)।

राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक 'एफ' डॉ ओ.पी. सिंह और वैज्ञानिक 'सी' डॉ दीपाली अन्विकर ने न्यू यॉर्क, सं. रा. अ. में सम्पन्न 5वीं वार्षिक वैज्ञानिक सलाहकार दल (SAG) की बैठक में भाग लिया (6-7 जुलाई, 2015)।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक 'एफ' डॉ अश्वनी कुमार और क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, डिब्रूगढ़ के वैज्ञानिक 'एफ' डॉ पी.के. मोहापात्रा ने न्यू यॉर्क, सं रा अ में सम्पन्न वैज्ञानिक सलाहकार दल की बैठक में भाग लिया (6-8 जुलाई, 2015)।

पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक 'डी' डॉ एस.डी. पवार ने मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया में सम्पन्न "सीक्वेंसिंग एवं एंटीवाइरल प्रतिरोध परीक्षण द्वारा इंफ्लुएंजा विषाणुओं की विषाणुरोधी सुग्राह्यता की जांच" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया (13-24 जुलाई, 2015)।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, की वैज्ञानिक 'ई' डॉ नीलिमा मिश्रा ने बैंकॉक में संपन्न "शोध एथिक्स और संस्थानगत रिव्यू बोर्ड प्रशिक्षण" कार्यक्रम में भाग लिया (16-17 जुलाई, 2015)।

आई सी एम आर की वित्तीय सहायता में भावी संगोष्ठियां/सेमिनार/कार्यशालाएं/पाठ्यक्रम/सम्मेलन

विषय	दिनांक एवं स्थान	सम्पर्क के लिए पता
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	7-9 अगस्त, 2015 वाराणसी	**प्रो. भवानी प्रसाद मण्डल** बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी
विश्व स्वदेशी जन दिवस के अवसर पर जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान पर राष्ट्रीय कार्यशाला	9-10 अगस्त, 2015 जबलपुर	**डॉ नीरू सिंह** राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर
NEUROTRAUMA 2015, न्यूरोट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन	21-23 अगस्त, 2015 बेंगलूरू	**प्रो. बी. इंदिरा देवी** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिकाविज्ञान संस्थान बेंगलूरू
CritiCAB 2015 - व्यावहारिक क्रिटिकल केयर पर कार्यशाला	22-23 अगस्त, 2015 भुवनेश्वर	**डॉ स्वागत त्रिपाठी** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर (ओडीशा)
इल्यूमिनाटी 2015 - प्रेरण के माध्यम से नवाचार	27-30 अगस्त, 2015 पुणे	**कर्नल यशपाल सिंह** आर्म्ड फोर्सेज़ मेडिकल कॉलेज पुणे
FENIX-2015 : महिला, प्रजनन क्षमता और उससे परे : प्रारंभ से उत्कृष्टता पर सम्मेलन	28-30 अगस्त, 2015 नई दिल्ली	**डॉ गरिमा कछवा** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली

PEDICRITICON-2015, वार्षिक बालकालीन क्रिटिकल केयर सम्मेलन, IAP इंटेंसिव केयर चैप्टर, कर्नाटक राज्य	28-30 अगस्त, 2015 बेलगांव	**डॉ एम.वी. पाटिल** जे.एन. मेडिकल कॉलेज बेलगांव
भारत में जेनरिक दवाइयों की वृद्धि और पहुंच पर सम्मेलन	3 सितम्बर, 2015 चण्डीगढ़	**डॉ संदीप कोचर** ASSOCHAM नई दिल्ली
भारतीय ट्रॉपिकल पैरासीटोलॉजी अकादमी का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन	3-6 सितम्बर, 2015 मदुरई	**डॉ पी.ए.टी. जगतेश्वरी** सूक्ष्मजीवविज्ञान संस्थान मदुरई मेडिकल कॉलेज मदुरई
आयुर्विज्ञान में भौतिक अनुसंधान संबंधी विधिविज्ञान पर कार्यशाला	4-5 सितम्बर, 2015 बारपेटा	**डॉ काबेरी भुयां मेधी** FAA मेडिकल कॉलेज बारपेटा
पूर्वोत्तर भारत के सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरणी परिप्रेक्ष्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2013 पर राष्ट्रीय सेमिनार	10-11 सितम्बर, 2015 गुवाहाटी	**प्रो परिमल सी. सेन** इंडियन साइंस न्यूज़ एसोसिएशन कोलकाता
बायोमेडिकल, क्लीनिकल शोध विधिविज्ञान पर कार्यशाला	11-12 सितम्बर, 2015 पटना	**डॉ (श्रीमती) संगीता पंकज** इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना
MAPCON 2015 - भारतीय विकृतिविज्ञानी और सूक्ष्मजीवविज्ञानी संस्था के महाराष्ट्र चैप्टर का 36वां वार्षिक सम्मेलन	11-13 सितम्बर, 2015 पुणे	**डॉ बागेश्री गोगाटे** श्रीमती काशीबाई नवाले मेडिकल कॉलेज एवं जनरल अस्पताल पुणे
वाहिकाजनन : प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	23-25 सितम्बर, 2015 तंजावूर	**डॉ श्रीनिवासन वेदांतम** स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐण्ड बायोटेक्नोलॉजी (SCBT) SASTRA विश्वविद्यालय तंजावूर
HLA टाइपिंग के सिद्धान्तों पर कार्यशाला तथा चिकित्सीय प्रतिरक्षाविज्ञान पर CME	25-26 सितम्बर, 2015 भोपाल	**डॉ शशांक पुरवार** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल
GYNECON 2015 : प्रसूति एवं स्त्रीरोगविज्ञान में क्रिटिकल सुरक्षा तथा प्रसूति एवं भ्रूण-मातृ चिकित्साविज्ञान में अल्ट्रासाउण्ड पर कार्यशाला	25-26 सितम्बर, 2015 पुणे	**कर्नल आर. अग्रवाल** आर्म्ड फोर्सेज़ मेडिकल कॉलेज पुणे
विकृतिविज्ञानियों की 18वीं वार्षिक CME	26-27 सितम्बर, 2015 जामनगर	**डॉ पी.एम. संतवानी** एम.पी.शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जामनगर
इमरजेंसी मेडिसिन का 11वां वार्षिक इण्डो-यू एस विश्व कांग्रेस "INDUS-EM" 2015	28 सितम्बर से 4 अक्टूबर, 2015 नई दिल्ली	**डॉ संजीव भोई** JPNA ट्रामा सेंटर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली

भारतीय मेडिकल जर्नल्स के संपादकों हेतु कार्यशाला तथा मेडिकल जर्नल संपादकों हेतु वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडीटर्स (WAME) का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	1-4 अक्टूबर, 2015 नई दिल्ली	**डॉ पीयूष साहनी** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली
भारत में क्षयरोग के पुनः उभरने पर सम्मेलन पूर्व कार्यशाला, नर्सिंग शिक्षण में नवाचारों पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग सम्मेलन	2-4 अक्टूबर, 2015 सिरमोर (हि.प्र.)	**प्रो. (श्रीमती) सुजाना चक्रवर्ती** अकाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बारु साहिब (हि. प्र.)
Pedo Art 2015, 37वां ISPD राष्ट्रीय सम्मेलन	8-10 अक्टूबर, 2015 रायपुर	**डॉ अरुण बी. सज्जनर** छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज ऐण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट राजनांदगांव रायपुर
बींग बॉर्न.... टु गिविंग बर्थः नीतियां और चुनौतियां पर सम्मेलन	9-10 अक्टूबर, 2015 गोरखपुर	**डॉ मनीश कुमार सिंह** भारतीय निवारक एवं सामाजिक चिकित्साविज्ञान संस्था उ.प्र.एवं उत्तराखण्ड चैप्टर गोरखपुर
शोध पत्र लेखन की कला और विज्ञान पर कार्यशाला	10-11 अक्टूबर, 2015 नई दिल्ली	**डॉ धीरज शाह** यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज़ दिल्ली
नेत्र बैंकिंग पर 7वीं राष्ट्रीय CME	10-11 अक्टूबर, 2015 नई दिल्ली	**डॉ नम्रता शर्मा** डॉ राजेन्द्र प्रसाद नेत्रविज्ञान केन्द्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली
पृथ्वी पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाने हेतु 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन	10-12 अक्टूबर, 2015 नई दिल्ली	**प्रो. (डॉ) कर्नल रंजीत सेन** वर्ल्ड साइंस कांग्रेस कोलकाता
मुखीय स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में वैश्विक विशेषज्ञता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	15-17 अक्टूबर, 2015 मैंगलोर	**डॉ शिशिर शेट्टी** ए.बी. शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल सांइसेज़ निट्टे विश्वविद्यालय मैंगलोर

सहयोग : श्रीमती वीना जुनेजा, श्रीमती सरिता नेगी

आई सी एम आर पत्रिका भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.icmr.nic.in पर भी उपलब्ध है

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्

सेमिनार/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए परिषद द्वारा आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र पर पूर्णतया भरे हुए केवल उन्हीं आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जो सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला आदि के आरम्भ होने की तारीख से कम से कम चार महीने पूर्व भेजे जाएंगे।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए मैसर्स रॉयल ऑफसेट प्रिन्टर्स,
ए–89/1, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–110 028 से मुद्रित। पं. सं. 47196/87